# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 43/2021 जिला–नागौर**

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र गजानन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पावटा तहसील डीडवाना हाल निवासी बिजेश कॉलोनी, जोधपुर।
2 शिवदयाल सिंह दत्तक पुत्र मुकुन सिंह
3 रेंवतसिंह दत्तक पुत्र ढोकलसिंह
4 अनोपसिंह पुत्र स्व. गंगासिह
5 दशरथसिंह पुत्र स्व. गंगासिंह
6 नरपतसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह
7 मोहनसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह
8 रघुवीरसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह
9 नत्थुसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह (पुत्र गुमानसिंह)
10 सायरसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
11 जीवराजसिंह पुत्र स्व. जमनसिंह
12 वीरबहादुरसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
13 श्रीमति स्वरूप कंवर पत्नि स्व. प्रेमसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम पावटा तहसील डीडवाना जिला नागौर
14 श्रीमति सुमनकंवर पुत्री स्व. प्रेमसिंह पत्नि दशरथसिंह जाति राजपूत निवासी सुजानपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

———अपीलार्थीगण

## बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

—————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना दिनांक 20.01.2017
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 06/2017

————

उपस्थित– 1. श्री हेमसिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

# निर्णय

दिनांकः—05.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, डीडवाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष चालू स्थाईसार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम पावटा पटवार मण्डल छापरीकला के चालू स्थाई सर्वजनिक रास्तों का जमाबंदी एवं नक्शे में अंकन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो उपखड अधिकारी, डीडवाना द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—1—2017 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकर कर ग्राम पटवर मडल छापरी कंला में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना—पत्र धारा—5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को नोटिस तामील करवाऐ बिना एवं किसी प्रकार की जांच किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 20—2—2020 को अपीलार्थीगण जब अपने खाते की नकले निकलवाने गये तब भूमि के नक्शे की भी नकले निकलवाई तो अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि उनकी खातेदारी भूमि के बीचों बीच नक्शे में डोटेड लाईन से रास्ते का अंकन करते हुए बटा नम्बा 325/293 डाले हुए है जबकि ऐसा कोई अंकन पूर्व राजस्व नक्शें में नहीं था जिस पर अपीलार्थीगण ने ऐसा इन्द्राज दर्ज होने का कारण पटवरी हलका से पूछा तो उन्होंने आदेश अन्तर्गत अपील का हवाला देते हुए उक्त इन्द्राज नक्शें में होने के तथ्य अपीलार्थीगण को दिये जिस पर अपीलार्थीगण ने जानकारी कर उसी दिनांक को आदेश दिनांक 20—1—2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी पमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27—2—2020 को प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा—5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने

से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम पावटा तहसील डीडवाना अवस्थित आराजी खसरा नं. 148 रकबा 116 बीघा 19 बिस्वा भूमि की आराजी अपीलार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें आने–जाने हेतु कोई भी रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2017 द्वारा शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3(21)राज.6/2003/पार्ट–04 दिनांक 10.08.2016 व जिला कलक्टर नागौर के पत्रांक प–9 भू.अ./सा./अभियान/2016/8152–76 दिनांक 14.09.2016 का हवाला देते हुए तहसीलदार डीडवाना के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत की धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत अपीलांटस की आराजी खसरा नं. 148 रकबा 116 बीघा 19 बिस्वा में से 2 बीघा तथा अन्य व्यक्तियों की आराजियात कदीमी रास्ता मानते हुए उसका राजस्व रिकोर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार डीडवाना ने आधारों पर प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत किया उससे प्रत्यर्थी ने अपने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया। पटवारी हल्का की एक पक्षीय गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में जो आदेश पारित किया गया था वह विधि विरूद्ध था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने दिनांक 02.01.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 20.01.2017 प्रदान की। अपीलार्थी संख्या 1 को जारी नोटिस में यह रिपोर्ट अंकित की गई की आसामी राजेन्द्रसिंह पुत्र गजानन्दसिंह परिवार सहित बाहर रहता है इसके बावजूद अपीलांट सख्या 1 को दुबारा तामील करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्य अपीलांटस को भी प्रकरण में न तो पक्षकार बनाया न ही उन्हें नोटिस जारी किये तथा बिना विधिवत

रूप से तामिल करवाये। बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये विद्वान उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने मात्र 18 दिन में आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार डीडवाना के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर एवं विश्वास करते हुए उन्होंने जो अपना आदेश पारित किया है वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पूर्णरूप से आश्वस्त होना चाहिए था एवं साबिक रिकोर्ड का अवलोकन करना चाहिए था। अपीलांटस कि आराजीयात में आने–जाने हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता कभी भी अस्तित्व में नही रहा था। प्रत्यर्थी ने भू–माफियाओं को नाजायज लाभ देने की गरज से अपीलांटस के विरूद्ध गलत कार्यवाही की थी जबकि किसी व्यक्ति द्वारा प्रथम रास्ते बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं अगर कोई रास्ता किसी व्यक्ति द्वारा चाहा भी जाता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत रास्ते दिये जाने का अलग से प्रावधान है। जब राजस्व नक्शे में पूर्व में कोई रास्ता नही रहा है तो किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं होते हुए भी अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी आराजियात साबिक खसरा नम्बर 148 जिसके हाल खसरा नम्बर 293 कायम हुए है मे से कभी भी कोई रास्ता न तो पूर्व में था न वर्तमान में चालू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अपीलाधीन आदेश परित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, डीडवना द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी तहसीलदार डीडवाना के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्ययालय द्वारा पारित आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 मे प्रदत्त निर्देशों के क्रम में ऐसे चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं जो विधिसम्मत है। उक्त रास्ता पूर्व में कदीमी रहा है, के आधार पर ही नक्शें मे इन्द्राज करने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थीगण ने राज्य सरकार के परिपत्र को चुनौती नहीं दी है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील 2 वर्ष से अधिक विलम्ब से अपील पेश की है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10–8–2016 को चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा ग्राम पावटा तहसील डीडवाना में स्थित विवादित आराजियत खसरा नम्बर 148 रकबा 116 बीघा 19 बिस्वा भूमि की आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें आने जाने हेतु कभी भी कोई रास्ता अस्तित्व में ही नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(21)राज.6/2003/पार्ट–04 दिनांक 10–08–2016 एवं जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 14–9–2016 का अंकन करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत विवादित आराजियात में से 2 बीघा तथा अन्य व्यक्तियों की आराजियात में से कदीमी रास्ता मानते हुए राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया जबकि किसी भी खातेदार की खातेदारी आराजियात में से राजस्व रेकार्ड में रास्ते का इन्द्राज या अन्य परिवर्तन करने से पूर्व संबंधित खातेदार को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित नहीं है।

यहा यह भी उल्लेख करना उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय को नक्शा ट्रेस एवं तरमीम हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करने से पूर्व संबंधित भूमि से लगते हुए चारों दिशाओं की ओर के खातेदारों को सुनना एवं उनके एतराज पर गौर करना राजस्व अधिकारी के लिए नियमानुसार आवश्यक है। साथ ही अधीनस्थ न्यायलय द्वारा तहसीलदार, डीडवाना से विवादित आराजियात बाबत कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की, कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर में से रास्ता चालू है या नहीं उन्होंने केवल राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के आधार पर सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–01–2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–01–2017 के अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2017 बउनवान तहसीलदार, डीडवाना बनाम छगनाराम त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी, डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी द्वारा नक्शा ट्रेस तरमीम हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से संबंधित भूमि के लगते हुए अन्य समस्त भूमिधारकों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथा तहसीलदार डीडवाना से विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उसका भंलीभाति अवलोकन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 05–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर